न्यायालय उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) भादरा, जिला हनुमानगढ़
पीठासीन अधिकारी :– श्री जयसिंह आर.ए.एस.

मि0न0 –164/2020(2020/00230)

अनवान : –

सीताराम गोदारा पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।

वादी

बनाम

1. रणसिंह पुत्र हेतराम जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
2. लिलाधर पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
3. सुषमा पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा।
4. आरएमजीबी शाखा मलखेड़ा जरिये शाखा प्रबंधक शाखा मलखेड़ा।

प्रतिवादीगण

दावा बाबत घोषणात्मक
अन्तर्गत धारा 88राजस्थान कास्तकारी
अधिनियम

उपस्थिति :– श्री मुंशीराम गोस्वामी **वादी**
श्री सुरेन्द्र मील **प्रतिवादीगण**

निर्णय दिनांकः 31/03/2021

संक्षेप में वाद के तथ्य इस प्रकार है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के वर्तमान खाता संख्या 23/92 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 13/1, 14/1, 16/1, 17, 18, 23, 24 25/1 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी बारानी प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 70/63 के मु0 न0 34 के किला न0 16, 17, 21 ता 25, मु0 न0 35 के किला न0 1 ता 10, 13 ता 15, मु0 न0 42 के किला न0 16, 17, 24, 25, मु0 न0 47 के किला न0 5 इस प्रकार कुल किता 25 की कुल 6.325 हैक्टेयर नहरी मय खाला प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:24 IST
Reason: SelfAttested

वादी एवं प्रतिवादीगण हिन्दु है तथा हि[illegible] उत्तराधिकार अधिनियम एवं हिन्दु मिताक्षरा पद्धति से शासित होते है। [illegible] के दादा हेतराम की खातेदारी हुआ करती थी। हेतराम से विरास्तन वाद[illegible] जो प्रतिवादी रणसिंह [illegible]कर्ता खानदान होने के चलते विरासतन इन्तकाल तन्हा प्रतिवादी रणसिंह ने अपने नाम से दर्ज करवा लिया। इस प्रकार वाद भूमि वादी एवं प्रतिवादीगण की दादालाई पैत्रक

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

कृषि भूमि है जिसमें वादी का जन्म से हक व अधिकार निहित है। वादभूमि तन्हा प्रतिवादी रणसिंह के नाम दर्ज होने से वादी के अधिकारों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

उक्त वाद भूमि हिन्दु खानदान की जद्दी जायदाद है जो वादी के पिता प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह को वादी के दादा हेतराम से विरासतन प्राप्त हुई है। जमाबन्दी भू–प्रबंध विभाग चक 12 एएमएस सम्वत 2029–38 के खाता संख्या 42 से साफ रोशन है इस प्रकार उक्त वाद भूमि में वादी का जन्म से हक व हिस्सा निहित है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामिल होने के उपरान्त वादी व प्रतिवादी सं0 1 ता 3 ने आपसी सहमति से राजीनामा पेश किया जो बाद तस्दीक पत्रावली पर लिया गया।

उक्त वाद भूमि बाबत सभी पक्षकारानों में पारिवारिक समझौता किया हुआ है। प्रतिवादिया संख्या 3 वादी की बहिन है, जिन्होंने अपना हक व हिस्सा की भूमि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में हिस्सा बराबर तर्क किया हुआ है।

साक्ष्य वादी में वादी सीताराम गोदारा पुत्र रणसिंह जाति जाट निवासी निनाण तहसील भादरा के साक्ष्य करवाये गये। साक्ष्यवादी में जमाबन्दी चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 खाता संख्या 23/92 व खाता संख्या 70/63 प्रदर्श 1 व 2, जमाबन्दी चक 12 एएमएस सम्वत 2056 खाता संख्या 49/47 प्रदर्श 3, जमाबन्दी चक 12 एएमएस सम्वत 2029–38 प्रदर्श 4 प्रदर्शित करवायें।

बहस उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादीगण ने अपने दावा के तथ्यों को दोहराते हुए वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया। चक 12 एएमएस के खाता संख्या 70/63 के मु0 न0 34 के किला न0 16, 17, 21 ता 25, मु0 न0 35 के किला न0 1 ता 10, 13 ता 15 के ऐसे कोई दस्तावेज पेश नही किये हैं, जिससे यह साबित हो कि उक्त भूमि दादालाई पैतृक कृषि भूमि हो।

हमारे द्वारा विद्वान अभिभाषक की बहस पर मनन किया व पत्रावली पर प्रस्तुत दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया। [illegible]वाद वादीगण ने रोही मौजा चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के वर्तमान खाता संख्या 23/92 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 13/1, 14/1, 16/1, 17, 18, 23, 24 25/1 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी बारानी प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। इसी प्रकार चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 70/63 के मु0 न0 42 के किला न0 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की कुल 1.012

Signature Not Verified
Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:24 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्डाधिकारी (राजस्व), भादरा (जिला-हनुमानगढ़)

हैक्टेयर व मु0 न0 47 के किला न0 5 की 0.253 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज है। जिसमें वाद भूमि दादालाई कृषि भूमि होना साबित है। इस प्रकार वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किये जाने का निवेदन किया।

क्रियात्मक आदेश

अतः वाद वादी मुताबिक राजीनामा डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के वर्तमान खाता संख्या 23/92 के मुरब्बा न0 32 के किला न0 13/1, 14/1, 16/1, 17, 18, 23, 24 25/1 इस प्रकार कुल किता 8 की कुल 1.518 हैक्टेयर नहरी बारानी व रोही मौजा चक 12 एएमएस सम्वत 2072–75 के खाता संख्या 70/63 के मु0 न0 42 के किला न0 16, 17, 24, 25 कुल किता 4 की कुल 1.012 हैक्टेयर व मु0 न0 47 के किला न0 5 की 0.253 हैक्टेयर प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह के नाम राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज भूमि में से **प्रतिवादी संख्या 1 रणसिंह का नाम कलमजन किया जाकर वादी सीताराम गोदारा व प्रतिवादी संख्या 2 लीलाधर को बहिस्सा बराबर के खातेदार काश्तकार घोषित किये जाते है।** प्रतिवादी संख्या 1 व 3 द्वारा वादी एवं प्रतिवादी संख्या 2 के हक में त्याग किये गये हिस्से पर नियमानुसार पंजीयन विभाग को पंजीयन शुल्क व स्टाम्प ड्यूटी अदा करने व यदि कृषि भूमि बैंक के रहन है तो रहन मुक्त होने के उपरान्त उपरोक्त घोषणा अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज कर रिकार्ड दुरूस्त किया जावे। खर्चा वाद उभय पक्ष अपना अपना वहन करें। पर्चा डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक 31/03/2021 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified

Digitally signed by Shakuntala
Date: 2021.12.01 16:10:24 IST
Reason: SelfAttested

(जयसिंह)
R.A.S
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
भादरा जिला हनुमानगढ़